राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः विज्ञापन सं. 14/Exam/AD&SSO/Home(Gr.-I)/RPSC/EP-I/2025-26

दिनांक : 23.12.2025

आयोग द्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर, राजस्थान के लिए राजस्थान फोरेंसिक विज्ञान सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत सहायक निदेशक (डीएनए खण्ड) एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विभिन्न 05 खण्ड) के निम्नलिखित कुल 28 पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

	Name of Post	John (Cit))	S.C.			S.T.			O.B.C.			M.B.C.			E.W.S.									
Post S. No.		No. of Post (s)	GEN.	GEN. WE	wD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV
1	Assistant Director (DNA Division)	8	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Horizontal Reservation:-	1. Ex. 5 2. P.H.	Ser. – - (i) I	(Gen.	/UR-(), SC-	0, ST	-0, OE	3C-0,	MBC	C-0, E	EWS-	0) iv) (a) I D	мі	C I	D 4.	tions	0. /L	\ \ \ \	D:-					
2	(DNA Division)	12	3	1	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Horizontal Reservation:-	1. Ex. S 2. P.H.	Ser. – - (i) E	(Gen., 3/LV-	/UR-0), SC-) D., I	0, ST- I.H	0, OE 0 (iii)	3C-0, LD/C	MBC P &C	C-0, E	WS-0 s-0, (i	0) iv) (a)) I.D.,	M.I.,	S.L.	D, Au	tism d	& (b)) Mul	.Dis. ·	- 0				
3	(Serology Division)	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
उक्त	ा पदा में से अनुसूचित जाति हतु दर	2 PH.	- (i) B	/I V-	(ii)	DE	IH-C	(iii)	I D/C	D 8.C	than	0 6	(0)	I.D.,। -20 व	M.I., गे भर्त	S.L.I कि वे	O, Au किलॉग	tism & के है	& (b) जिन	Mul. हें प्रथ	.Dis म बार	- 0 अग्रनी	त किर	ग जा	रहा ह	-
4	(Narcotics Division)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Horizontal Reservation:- 1	. Ex. S	er. – (e	Gen./\ /LV-1	UR-0, , (ii)	SC-0	, ST-(.H 0	O, OB (iii) I	C-0, 1 LD/C	MBC-	0, E	WS-0 -0. (iv) () (a)	LD N	и	SLI) Aut	ism &	(h)	Mul	Die -	0				
5	(Biology Division)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.	0	0
	Horizontal Reservation:- 1	. Ex. Se 2. P.H	er. – (e	Gen./l /LV-1	JR-0,	SC-0	, ST-(O, OBO	C-0, N	MBC-	0, E	WS-0) () (a)	IDA	11	SIL	Ant	iem &	(h)	Muli	Dia					
6	(Chemistry Division)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALL	Horizontal Reservation:-	2. P.H	(i) B	/LV-1	(ii)	D. H	IH-C	(iii) [LD/C	P & C	thers	-0 (i	(a)	I.D.,I	М.I.,	S.L.I), Aut	ism &	દે (b)	Mul.	Dis	0				
Visio	reviations Used: GEN – Gener S – Economically Weaker Section on, D-Deaf, H.HHard of Hearin ms and muscular dystrophy, Spi ss, S.L.D Specific Learning D	ns, U.R ns, GE ng, H.I. nal Def	Unr N WE - Hear ormity	eserve E – Ge ring In	neral npairr //Spin	Wom ment,	hedule en, W LD/C urv (S	ed Cas D-Wi CP & (I) wit	stes, S dow, Others hout a	ST- So DV-I s – Lo any as	chedu Divor com	iled T cee, S otor I	ribes SA-S Disabi	, OBC chedu ility ir	led A	ther I Area, ling C	Backw NSA- erebra	Non al pals	Sche Sy, le	es, M	BC- N	More I	V-BI	indne	ss/Lo	w

नोट :-

1. कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथारिथति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

विशेष नोट :— यदि अम्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis. - Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical Handicaped.

- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- 3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या **इसके विपरीत (Vice Versa)** के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
- 4. विशेष योग्यजन / निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया
- 5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपालब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
- 6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- 7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18. 09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- 8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा। टिप्पणी:--"बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।"

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं - (i)

पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
Director	(a) M.Sc. with at least II nd Division in Zoology / Molecular Biology / Biotechnology / Biochemistry / Microbiology/ Genetics from a University established by law in India, or M.Sc. with at least II nd Division in Forensic Science with specialisation in Forensic Biology/Serology/DNA (in III or IV Semester/specialisation course of minimum six months duration) and Zoology/ Molecular Biology

		/ Biotechnology / Biochemistry / Microbiology / Genetics as one of the subjects in Bachelor of Science I established by law in India, and (b) Certificate / Diploma in Computer Science/ Computer Application or Degree with at least one subject Computer Application from a University established by law in India or an institution recognized by the Gov higher level Certificate Course by NIELIT (erstwhile DOEACC Society), New Delhi, and (c) Three years' working experience in the field of Forensic DNA in a F.S.L. of a State or Central Government public undertaking or corporation.	t as Computer Science/ vernment, or 'O' level or
Scie Of (E	enior entific fficer DNA vision)	(a) M.Sc. with at least II nd Division in Zoology / Molecular Biology / Biotechnology / Biochemistry / Microb University established by law in India, or M.Sc. with at least II nd Division in Forensic Science with spe Biology/Serology /DNA (in III or IV Semester/specialisation course of minimum six months duration) and Biology or Biotechnology or Biochemistry or Microbiology or Genetics as one of the subjects in Bachelor University established by law in India, and (b) Certificate / Diploma in Computer Science/ Computer Application or Degree with at least one subject Computer Application from a University established by law in India or an institution recognized by the Gov	ecialisation in Forensic I Zoology or Molecular of Science level from a t as Computer Science/
		higher level Certificate Course by NIELIT (erstwhile DOEACC Society), New Delhi, and (e) Two years' working experience in the field of Forensic DNA in a F.S.L. of a State or Central Government public undertaking or corporation.	or similar experience in
Offic (Sero	ntific cer ology sion & ogy	(a) M.Sc. with at least II nd Division in Zoology / Molecular Biology / Biotechnology / Biochemistry / Microb University established by law in India, or M.Sc. with at least II nd Division in Forensic Science with spe Biology/Serology (in III or IV Semester/specialisation course of minimum six months duration), and Foren Zoology/ Botany as one of the subjects in Bachelor of Science level from a University established by law in Indib (b) Certificate / Diploma in Computer Science/ Computer Application or Degree with at least one subject Computer Application from a University established by law in India or an institution recognized by the Gov higher level Certificate Course by NIELIT (erstwhile DOEACC Society), New Delhi, and (c) Two years' experience of working in a F.S.L. of a State or Central Government or similar experience in corporation.	ecialisation in Forensic nsic Biological Science/ dia, and t as Computer Science/ ternment, or 'O' level or
Offic (Narc Divis	ntific cer cotics sion & nistry	(a) M.Sc. with at least II nd Division in Chemistry from a University established by law in India, or M.Tech Division in field of Chemical Engineering from a University established by law in India, or M.Sc. with at least I Science with specialisation in Forensic Chemistry/Toxicology/ Narcotics (in III or IV Semester/specialisation months duration) and Chemistry/Forensic Chemistry as one of the subject in Bachelor of Science level from a U law in India, and (b) Certificate/Diploma in Computer Science/ Computer Application or Degree with at least one subject as Compapplication from a University established by law in India or an institution recognized by the Government, or Certificate Course by NIELIT (erstwhile DOEACC Society), New Delhi, and (c) Two years' experience of working in a F.S.L. of a State or Central Government or similar experience in corporation.	IInd Division in Forensic course of minimum six Iniversity established by puter Science/Computer 'O' level or higher level
ावश्यक साथ रिता अ सिणिव बिधी प्र	म संलग्न पलोड न क अर्हता प्रावधान	ऑनलाईन ऑवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नि पर अम्यर्थी अपात्र होगा।	रुत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थ रुप्ते के पश्चात् वांछित अनुभ धिरित अनुभव प्राप्त नहीं हो
ावश्यक साथ शिव क्षणिव बंधी प्र Note	प्रसंलग्न प्रलोड न ह अर्हता प्रावधान 2: 1. इ 2. अ 20	-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हो किये गये प्रारूप में तैयार कर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछि वहीं करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। जिक्त पदों हेतु वांछित उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, अतः अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निपर अभ्यर्थी अपात्र होगा। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकासत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान किया उत्ति (BNS) की धारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सिलंग / पात्रता जांच / साक्षात्कार के र इस परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अविध के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar पद क्रम संख्या 1 के लिए:- पे-मैट्रिक्स लेवल L-16 पद क्रम संख्या 2 से 6 के लिए:- पे-मैट्रिक्स लेवल L-15	इत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थ इरने के पश्चात् वांछित अनुभ वर्धारित अनुभव प्राप्त नहीं हो पि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग् त्य उपलब्ध होगा। ना भारतीय न्याय संहिता, दौरान अपात्र पाये जाने
ावश्यक त्रं साथ त्रं अ क्षिणिव वंबंधी प्र Note	 मंलग्न प्रलोड न प्रति का अर्हता प्रावधान 1. ं ह 2. अ 20 प्र गर्निंग रिनंग 	-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हो किये गये प्रारूप में तैयार कर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछि वहीं करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। जिस्त पदों हेतु वांछित उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, अतः अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निपर अभ्यर्थी अपात्र होगा। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकासत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान किया (BNS) की धारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सिलंग / पात्रता जांच / साक्षात्कार के र इस परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अविध के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar पद क्रम संख्या 1 के लिए:- पे-मैट्रिक्स लेवल L-16	हत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थ हरने के पश्चात् वांछित अनुभव वर्धारित अनुभव प्राप्त नहीं होव हिं ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग् हप उपलब्ध होगा। हा भारतीय न्याय संहिता, दौरान अपात्र पाये जाने हो किया जायेगा।
ावश्यक त्रं साथ त्रं अ क्षिणिव वंबंधी प्र Note	 मंलग्न प्रलोड न क अईता प्रावधान 1. क ह 2. अ 20 प्र का रिनंग बैण्ड 	-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हों किये गये प्रारूप में तैयार कर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछि करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। जित्त पदों हेतु वांछित उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, अतः अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निपर अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र को अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकत्य समस्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान 123 (BNS) की घारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के र इस परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar पद क्रम संख्या 1 के लिए:— पे—मैट्रिक्स लेवल L-16 पद क्रम संख्या 2 से 6 के लिए:— पे—मैट्रिक्स लेवल L-15 नोट:— राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा। दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट:— पद क्रम संख्या 1 व 6 के पद आयोग द्वारा पूर्व में क्रमशः वर्ष 2021 व वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2027 को अधिकायु के होते है, उन्हें संबंधित सेवा नियमों में संख्या 1 व 6 के लिए उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।	हत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थ हरने के पश्चात् वांछित अनुभव हर्धारित अनुभव प्राप्त नहीं हो हिए ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग हप उपलब्ध होगा। हा भारतीय न्याय संहिता, दौरान अपात्र पाये जाने ह) किया जायेगा। हो उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन् विहित प्रावधानानुसार पद क्रम्
ावश्यः स्वाधारा अ क्षाणिव बंधी प्र शिक्ट पे—ं आयु	प्र संलग्न प्रायोड न ह अईता प्रावधान 2. अ 20 प्र हा रिनेंग बैण्ड सीमा	-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हो किये गये प्रारूप में तैयार कर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछि हों करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। जिक्त पदों हेतु वांछित उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, अतः अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निपर अभ्यर्थी अपात्र होगा। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र को अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकासित्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान कर पर्वा की बारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सिलंग /पात्रता जांच /साक्षात्कार के रहस परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अविध के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar पद क्रम संख्या 1 के लिए:— पे—मैट्रिक्स लेवल L-16 पद क्रम संख्या 1 के लिए:— पे—मैट्रिक्स लेवल L-15 नोट :— राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा। दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट :— पद क्रम संख्या 1 व 6 के पद आयोग द्वारा पूर्व में क्रमशः वर्ष 2021 व वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2027 को अधिकायु के होते है, उन्हें संबंधित सेवा नियमों में संख्या 1 व 6 के लिए उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। विज्ञापित पर्दों के अंतर्गत दश्धियों गये आरक्षित पर्दों हेतु विमिन्त वर्गो / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रा	हत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थ हरने के पश्चात् वांछित अनुभ वर्धारित अनुभव प्राप्त नहीं हो पि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग् ल्प उपलब्ध होगा। ना भारतीय न्याय संहिता, दौरान अपात्र पाये जाने) किया जायेगा। विहित प्रावधानानुसार पद क्र
ावश्यक साथ साणिव बंधी प्र Jote	प संलग्न प्रायोध न ह अईता प्रायधान 2. अ 20 प्र हा रिनेंग बैण्ड सीमा	-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हो किये गये प्रारूप में तैयार कर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछि करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। जनत पदों हेतु वांछित उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, अतः अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निप्त अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकासत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान का सार्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान का स्वार्थ एवं गलत सूचना के आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar पर क्रम संख्या 1 के लिए:- पे-मैट्रिक्स लेवल L-15 नोट:- पाज्य सरकार के नियमानुसार परिवेक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा। दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट:- पद क्रम संख्या 1 व 6 के पद आयोग हारा पूर्व में क्रमशः वर्ष 2021 व वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2027 को अधिकायु के होते है, उन्हें संबंधित सेवा नियमों में संख्या 1 व 6 के लिए उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। विज्ञापित पदों के अंतर्गत दशीये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्त वर्गी/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रार्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes	हत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थ हरने के पश्चात् वांछित अनुभ वर्धारित अनुभव प्राप्त नहीं हो हिए ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग् त्प उपलब्ध होगा। ना भारतीय न्याय संहिता, दौरान अपात्र पाये जाने ह) किया जायेगा।
ावश्यः स्वाधारा अ क्षिणिव बंधी प्र पे—ं आयु	प संलग्न पलोड न ह अईता प्रावधान 2. अ 20 पप हा रनिंग बैण्ड सीमा राज0 र Male (and E राजस्थ Woma	-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हो किये गये प्राप्त में तैयार कर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछि करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। जन्म पदों हेतु वांछित उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, अतः अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नि पर अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा इत्य ऑनलाईन आवेदन पत्र को अनुभत संशोधन विधि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकासत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान करता सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान कर स्व परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar पद क्रम संख्या 1 के लिए:— पे—मैट्रिक्स लेवल L-16 पद क्रम संख्या 2 से 6 के लिए:— पे—मैट्रिक्स लेवल L-15 नोट :— परव क्रम संख्या 1 व 6 के पद आयोग द्वारा पूर्व में क्रमशः वर्ष 2021 व वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2027 को अधिकायु के होते है, उन्हें संबंधित सेवा नियमों में संख्या 1 व 6 के लिए उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। विज्ञापित पदों के अंतर्गत दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गी/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों स्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जानतीत एवं पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष पत्र विशाधक के अनुसूचित जानजाति एवं पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला का अवासुस्तित जानजाति एवं पर पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला का विधादिक belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward	हत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थं हरने के पश्चात् वांछित अनुभ वर्धारित अनुभव प्राप्त नहीं हो पि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोव्याः त्य उपलब्ध होगा। ना भारतीय न्याय संहिता, दौरान अपात्र पाये जाने क्या जायेगा। विहित प्रावधानानुसार पद क्र जिथान अधिकतम आयु में देय छू 5 वर्ष
त्रस्य अ साथ साथ साणिव बंधी प्र पे—ं आयु	प्रसंलग्न प्रलोड न ह अईता प्रावधान 2. अ 20 प्र हा रिनेंग बैण्ड सीमा राज0 र Male o and E राजस्थ Woma Classo सामान्य	-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हो किये गये प्राप्त में तैयार कर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछि करने पर परीक्षा में सिम्मिलत होने के लिये पात्र नहीं होगा। जन पर्वे हेतु वांछित उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त के आंनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निपर अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा अंनलाईन आवेदन पत्र को अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकासत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान एवं स्थापिक अंतलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar पद क्रम संख्या व के लिए:- पे-मैट्रिक्स लेवल L-15 नोट:- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा। दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट:- पद क्रम संख्या 1 व 6 के पद आयोग द्वारा पूर्व में क्रमशः वर्ष 2021 व वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2027 को अधिकाय के होते है, उन्हें संबंधित सेवा नियमों में संख्या 1 व 6 के लिए उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। विज्ञापित पत्रों के अंतर्गत दश्यि गये आधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। विज्ञापित पत्रों के अंतर्गत दश्यि गये आधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट से संगीर होतु आयु सीमा में छूट के प्र अध्यर्थ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुक्ष Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward es and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	हत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यश् हरने के पश्चात् वांछित अनुभ व्यारित अनुभव प्राप्त नहीं हो पि ऐसे अभ्यर्थियों को आयो त्य उपलब्ध होगा। ना भारतीय न्याय संहिता, दौरान अपात्र पाये जाने) किया जायेगा। विहित प्रावधानानुसार पद क्र जिथ्या जिथ्या जायेगा। अधिकतम आयु में देय छू 5 वर्ष Five Years 10 वर्ष Ten Years
त्रश्यक् साथ साथ अक्षिणिव बंधी प्र पे—ं आयु	प्रसंलग्न प्रावधान ह अईता प्रावधान ट. १. इ १. ३ १. ३ १. ३ १. ३ १. ३ १. ३ १. ३ १. ३	-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हो किये गये प्राष्ठ्य में तैयार कर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछि हों करने पर परीक्षा में समिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। जन्म पदों हेतु वांछित उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निप्त पत्र अग्वस्था अग्वत्र होगा। अम्यर्थी अग्वत्र होगा। अम्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा इत्या ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुभत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकासत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकासत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकासत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान का प्रत्या को बारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अन्यर्थी को कालान्तर में काउन्सिलंग / पात्रता जांच / साक्षात्कार के र इस परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अविध के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्णित (Debar पर क्रम संख्या 1 के लिए- पे-मैट्रिक्स लेवल L-16 पद क्रम संख्या 1 के लिए- पे-मैट्रिक्स लेवल L-15 नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवेक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा। दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट :- पद क्रम संख्या 1 व ६ के लिए उपर्युक्त अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट :- पद क्रम संख्या 1 व ६ के पद आयोग हारा पूर्व में क्रमशः वर्ष 2021 व वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे। तरपश्चा ते संख्या 1 व ६ के लिए उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। विज्ञापित परों के अंतर्गत दशाये गये आरक्षित पर्चों हेतु विमिन्त वर्गों / अन्य विशिष्ट श्रीणयों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रार्थित जन्म पर्चों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जानाति एवं अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / आधिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला	हत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थं हरने के पश्चात् वांछित अनुभव प्राप्त नहीं हो पि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग्त्य उपलब्ध होगा। ना भारतीय न्याय संहिता, दौरान अपात्र पाये जाने किया जायेगा। किया जायेगा। किया जायेगा। जिथान अधिकतम आयु में देय छू कि Five Years 10 वर्ष Ten Years 5 वर्ष Five Years
ावश्यः स्वाधाः अ स्वाधाः बंधीः गिर्वाच पे—ं आयु	प्रसंलग्न प्रावधान ह अईता प्रावधान ट. 1. ं ह 2. 3 20 प्रा हा रिनंग बैण्ड सीमा राजक Male 6 and E राजस्थ Woma Classo सामान्य Woma विधवा Widov Expla Comp भूतपूर्व मामले That t	अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हो किये गये प्राष्ठम में तैयार कर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछि हों करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। जित्त पदों हेतु वांछित उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, अतः अन्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त के आंत्र अंत्रनाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त अन्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा अन्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा अन्यर्थी को वांछित श्रूक्त श्रूक्त विज्ञ अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकासत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान्य अपशिक्ष के अंतर्गत सुचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान्य उस स्था परिक्षा के अंतर्गत सुचन करने हुए आगामी तीन वर्ष की अविधि के तिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्णित (Debar पर कम संख्या 1 के लिए:- पे-मेट्रिक्स लेवल L-16 पद कम संख्या 2 से 6 के लिए:- पे-मेट्रिक्स लेवल L-16 पद कम संख्या 2 से 6 के लिए:- पे-मेट्रिक्स लेवल L-16 विक्र कम संख्या 1 व 6 के पद आयोग हारा पूर्व में कमशः वर्ष 2021 व वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात जारी नहीं किया गया। अतः जो अन्यर्थी दिनांक 01.01.2027 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियमों में संख्या 1 व 6 के लिए उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष की अतिरित्त छुट देय होगी। विज्ञापित पर्तो के अंतर्गत वर्शाये गर्त आरक्षित पर्ते कुट्त का विश्वाप्त किया के अतिरित्त छुट देय होगी। विज्ञापित पर्तो के अत्तर्गत वर्शायो गरित वर्षायो का सुच्या वित्त किया किया पर किया विश्वाप्त किया के अन्यर्व विश्वाप्त किया कि	हत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थं रहेन के पश्चात् वांछित अनुभव प्राप्त नहीं हो विधित अग्यर्थं को आयोग्त मार्थतीय न्याय संहिता, दौरान अपात्र पाये जाने किया जायेगा। विहित प्रावधानानुसार पद क्र विधित प्रावधान अधिकतम आयु में देय छू कर्ष Five Years 10 वर्ष Ten Years 5 वर्ष Five Years 36 अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
ावश्यक स्वाधा अ क्षणिव बंधी प्र श्रेतन आयु	संलग्न पलोड न क अर्हता प्रावधान के किया किया के किया किया किया किया किया किया के किया किया किया किया किया किया किया किया	अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हो किये गये प्राष्ठाम में तीयार कर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछि हों करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। जित्त पत्रों हेतु वांछित उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, अतः अन्यर्थीयों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक जिलान्तर होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक जिलान्तर होना आवश्यक हो। अर्थ प्राप्त होना होने पर श्री उसे प्राप्त होना होने होना पत्र होना प्राप्त होना होने पर श्री उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकास होना साथ एवं गत्र होना होने होने पर श्री उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकास होने साथ एवं श्री होने पर श्री उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जान होने होने होने होने होने होने होने होन	हत अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थ हरने के पश्चात् वांछित अनुभव प्राप्त नहीं हो विश्वित उपलब्ध होगा। ना भारतीय न्याय संहिता, दौरान अपात्र पाये जाने हो किया जायेगा। विहित प्रावधानानुसार पद क्र विश्वाप अधिकतम आयु में देय छू विश्वाप है वर्ष होण्य Years 10 वर्ष Five Years 10 वर्ष Five Years 38िकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit

- इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। That the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, had they been within the age-limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment. 9 राजस्थान राज्य के कारोबार में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Notwithstanding anything contained contrary in these Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations or in case of posts filled in through the Commission by interview. निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु 10 सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army. 11 पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years. रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिकों जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था, के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। 12 Provided that the upper age limit shall be 50 years in the case of reservists, namely defence Service Personnel who were transferred to the reserve or released defence Service Personnel. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की 13 दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपबंधित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालाविध के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years to Exservicemen; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अन्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for
- <u>नोट</u> -

persons with benchmarks disabilities.

दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।

1. उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

नोट :- विभिन्न वर्गों / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम / तक की आयु सीमा में छूट

- 2. उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।
- 3. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपन्न दिनांक 26.7.2017 एवं पन्न दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अम्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- 4. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 5. अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

	अन्य विवरण
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन रें स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 21 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जायेगें जो मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 29.12.2025 से दिनांक 27.01.2026 रात्रि 12-00 बजे तक।
	1. उवत पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अम्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाई- आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्यय-आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अम्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अम्यर्थीयों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशिष्ट मर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित मर्ती सेवा नियम एर विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही लागू होंगे। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अम्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link के Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध त्या एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध त्या एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध त्या एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध त्या पर उपलब्ध त्या पर उपलब्ध त्या कर अपनी (उत्त क्ष्या)। प्रतः के अधार पर ऑनलाईन आवेदन करें। जिन अम्यर्थी द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अम्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen App (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंतर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें। अग्यर्थी द्वारा One Time Registration कर परचात OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, ज्यात कर पर परचे के नाम, पिता के नाम, ज्यात कर परचे परचे के स्वयं प्रत ज्या परचे के नाम, पिता के नाम, ज्यात कर ने से पूर्व अध्यार /SSC प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्यं से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चत कर लेवे। यदि इसमें कोई अन्यर है अन्यर है अपने अध्यत परच कर लेवा ति पर व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अध्यर अपने अधार कार्ड में वर्

फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करें।

- अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बाँयें हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।
 - अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर चरपा करने हेतु साथ लेकर आयें।
- अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर
- 10. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit
- 11. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
- आवेदक जिस् श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर डिबार सहित नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग हे अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
- 14. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवें।
- 15. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाईट पर Exam Dashboard का समय-समय पर अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।
- आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन / हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाईन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि / अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करना आवश्यक है:--

- 1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के** भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का
- 2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
 - Note: विच्छिन्न विवाह / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विच्छिन्न विवाह (DV) डिक्री जारी होने की स्थिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेगी।
- 3. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
- 4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
- 5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।
- 6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
 7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाईन/ऑनलाईन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

एकबारीय पंजीयन शुल्क :– कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-रूपये 600/-

1. सामान्य (अनारक्षित) / पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी – 2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/

रूपये 400/-

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / सहरिया आदिम जाति) के अभ्यर्थी -

3. दिव्यांगजन

रूपये 400/-

नोट :-

- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। कार्मिक (क-2) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 19.04.2023 से पूर्व जिन अभ्यर्थियों द्वारा वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा
- लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएं। एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात् परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा परिपन्न दिनांक 09.05.2025 जारी किया ाया है जिसकी

निम्नलिखित शर्ते लागू / कार्यकारी होगी:-(i) कोई अभ्यर्थी आयोग / बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रेल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।

- (ii) अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750/ रूपये का भुगतान करने के पश्चात् ही एकबारीय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।
- (iii)एक बार O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।
- (iv) पुनः प्रतिबन्धित O.T.R. को अभ्यर्थी के द्वारा राशि रूपये 1500/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओ.टी.आर. सुविधा पुनः चालू की जायेगी। टिप्पणी—यदि कोई आवेदक किन्ही कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने की स्थिति में उसे इस परीक्षा में ओ.टी.आर. प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपस्थित

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

- 1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन / विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यंथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- 2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते है, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
- ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग / केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते है, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का वचन-पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।
- 4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता—Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section- 2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध मे मुख्य चिकित्साँ एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और / या क्षतिपूरक समय प्रदान किया
- 5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम नि:शक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से **कम से कम दो दिवस पूर्व** समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।

23/12/25

6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाईट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

Scheme of examination for the post of Assistant Director (DNA Division) & Senior Scientific Officer (05 Divisions)

S.No.	Subject	No. of Questions	Total Marks	Examination Duration
1	Concerned Subject (as prescribed in the qualifications)	150	150	2 Hours & 30 Minutes
	Total	150	150	

- 1. The competitive examination shall carry 150 marks and 150 questions of Multiple Choice Type questions.
- 2. There shall be one paper. Duration of Paper will be Two hours and Thirty Minutes.
- 3. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation:- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.


उक्त पर्दो हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

- 1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- 2. It is mandatory to fill one option for each question.
- 3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- 4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- 5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपर्ण बिन्द / नोट :-

- 1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई—मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई—मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- 2. अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
- 3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियों सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- 4. अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा अन्तिम दिवसों में किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5. आवेदक द्वारा स्वयं / ई-मित्र /अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते / भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि / भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति / वर्ग / श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। अगर फिर भी कोई गलती / त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की निर्धारित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अम्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा / जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- 6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अविध के पश्चात् श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमित नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गेर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अविध समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि अपने संबंधित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी की पात्रता को अनारक्षित/मूल वर्ग की रिक्त के विरुद्ध विचारित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

 3. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्रप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा
- 7. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सिहत प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनित्तम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत अवेदन-पत्र ऑनलाईन भरना होगा एवं इसके
 - साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
 आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच मूल प्रलेखों अथवा फोटो प्रतियाँ से करते समय यदि अभ्यर्थी की आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विक्छिन विवाह/तलाकशुदा/पिरत्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी) तथा विज्ञापन में उल्लेखित अन्य शर्तों के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी की अपात्रता ज्ञात होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- 8. किसी भर्ती परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिंक खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- 9. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा / परित्यक्ता / विच्छिन्न विवाह / तलाकशुदा वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा / विच्छिन्न विवाह / तलाकशुदा / परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- 10. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने/त्रुटि सुंघार संशोधन अविध के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आंकिस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार—कार्ड, मृत्यु प्रमाण—पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पित के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्तता प्रमाण—पत्र मय 500/- रूपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अन्यर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यु/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।
- 11. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की आंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाम प्रदान किया जाएगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा/ विच्छिन्न विवाह आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- 12. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 13. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। विज्ञापन में दी गई वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- 14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।



- परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा—िनर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा—िनर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार
- प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम सभी अभ्यर्थियों को मान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षाकक्ष में परीक्षा सामग्री/प्रश्नपत्र/परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि/संदेह होने पर लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा परिसर में व्यवधान / हंगामा करना / हंगामें का प्रयास करना / अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा नहीं देने हेतु प्रेरित करना / दुष्प्रेरण का प्रयास करने पर संबंधित अभ्यर्थी के लिए इस परीक्षा को निरस्त करते हुए उसे आजीवन डिबार करने सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी / परीक्षार्थी को आयोग / संघ लोक सेवा आयोग / अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती / परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग / उपयोग या अनुचित / अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं / साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं / साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता /विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा / मुख्य परीक्षा / संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जाँच में दस्तावेज सही पाये गए हों। अंतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

- 1. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपन्न दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग* के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
 - * Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अन्यर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।
- पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर / नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण--पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निर्वासी होना चाहिये।

 Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पित की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

 शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता / अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक / परीक्षा दिनांक / साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा
 शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे— श्रेणी / वर्ग / जाति / अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र), आयु (आयु की को गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), दिव्यांगता* (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का रपष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालियक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण पत्र नियमानुसार बना हुआ / धारित होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथाँ – विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पित के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग / श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी / वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता / तलाकशुदा / विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोघपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता / विच्छिन्न विवाह / तलाकशुदा श्रेणी / वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
 - *नोट:-कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.08.2025 के अनुसार जो अभ्यर्थी यूनिक डिसेबिलिटी आई डी (U.D.I.D.) प्रारंभ होने से पूर्व के प्रमाण पत्र धारक हो उनको भी पुनः सत्यापन कर स्वावलम्बन पोर्टल पर यूनिक डिसेबिलिटी आई डी (U.D.I.D.) प्रमाण पत्र जारी कराया जाना आवश्यक है।
- 8. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान** कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया / गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा / रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा / होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता / करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता / जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालाविध को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की कालाविध के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19. 07.2021 के अनुसार अनापित्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अविध की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके प्रहण करन स पूप, ायानन पदा का लए आवदन करता ह आर सबाधत ानयाजक का, राजस्थान सरकार के अधान प्रारामक पद ग्रहण करन स पूप, ायानन पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख—वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। "कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाम, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।"

 शासन के परिपन्न क्रमांक प.6(19)गृह—13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपन्न के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्न यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।

 प्रमान को प्राराह्म के प्रमाण विवाह के प्रमाण परिपन के प्रमाण विवाह के प्रमाण पत्न के प्रमाण विवाह के प्रमाण विवाह के प्रमाण पत्न के प्रमाण पत्न के प्रमाण विवाह के प्रमाण पत्न के प्रम
- 10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे / संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों / सन्तानों प्सी कोई मी अम्बेबा, जिसके 01.06.2002 की वी उसके परवार् पी से आबेक बच्चे / सतान है, सेवा में निजुतिस के लिए तब तक निरहिंत नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों / सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा / सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे / सन्ताने पैदा होती हैं, वहाँ बच्चों / सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संताने की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और नि:शक्त हो, गणना नहीं की जाएगी । परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अध्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे गरिहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी विधवा एवं विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा। 11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।



- 12. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
- 14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थीयों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र से पूर्व में किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक / ई–मित्र / अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन—पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती / त्रुटि / लोप / अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन / विस्तृत आवेदन—पत्र आयोग द्वारा खारिज / निरस्त कर दिया जाता हैं, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना—पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर परीक्षार्थियों हेतु उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन / सूचना / स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरमाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

23 (12 25. (रामनिवास महता) सचिव

दिनांक : 23.12.2025

क्रमांकः F.8-A(12)Exam/AD&SSO/Home(Gr.-I)/RPSC/EP-I/2025-26/92

प्रतिलिपि:— संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप—1) विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक—प.3(11)गृह—1/2024(21141) दिनांक 15.12.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

र्राप 23/1435 संयुक्त सचिव

सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, के पद हेतु अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप (शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् की अविध का)

पत्र	ावली क्रमांकः		प्रेषित क्रमांक			दिनांकः–			
विभाग	ा / कार्यालय / सं र	स्था का नाम							
(पूर्ण पर	ता, फोन नंबर, ई–मेल	आईडी)							
संस्था	का रजिस्ट्रेशन	नं० एवं रजिस्ट्रेशन	वर्ष						
जिला (राज्य) का नाम :									
		संस्था का नाम							
श्री / श्रं विभाग विवरण	कर्मचाः गोमती / सुश्री / संस्था में प्रथम नि निम्नानुसार है:–	री की सेवा पुस्तिका / पिता युक्ति तिथि दिनांक	/संस्था के अभि ।/पति का नाम से निः	लेख के आधा न पद/पदों	र पर यह पर पर कार्यरत	प्रमाणित किया जाता है कि जन्म तिथिइस रहे हैं / कार्यरत थे जिसका			
क्र.	पद का नाम	पदस्थापन स्थान	अव	धि	वेतन	किये गये कार्य का विवरण			
सं.			से	तक		(नियमानुसार वांछित अनुभव)			
1									
2									
3									
4									
	योग सेवा	काल							
है। (र्ज (आव	प्रति हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी) वश्यकता होने पर)	कुल वर्षमाह	विन	के कार्य	का संतोष	दिनांक जनक अनुभव रखते / रखती अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर मय सील			
नाटः—	जा लागू न हा उ	प्ते काट (X) देवें। च	उक्त क आतार	क्त पूर्ण प्रावी	ष्ट कर।				

